फैक्स / मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड़ देहरादून

PWD Uttarakhand

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: cepwdua@rediff.com Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 07 / 01 व्यग–सा0प्र0 / 2014 देहरादून, दिनांक 03 ~~दिसम्बर~~ January, 2014

: कार्यालय ज्ञाप :

विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 1421 / 01 व्यग–सा0प्र0 / 2013 दिनांक 09.10.2013 तथा पत्र संख्या 620 / 20 अधि0प्राप्ति–उत्तराखण्ड / 2007 दिनांक 04.06.2007 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्दिष्ट किया गया था कि विभाग के अन्तर्गत कम्प्यूटर टाइपिंग / कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री व अपडेशन ई–मेल आदि कार्यों को यथा सम्भव विभागीय नियमित कार्मिकों के माध्यम से ही सम्पादित कराये जाने का प्रयास किया जाय। परन्तु एक ही कार्यालय में एक से अधिक कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे गये हैं, जो कि उचित नहीं है। एक कार्यालय में एक से अधिक कम्प्यूटर ऑपरेटर रखने वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रेषित किये जाने के निर्देश भी दिये गये थे। इस परिपाटी पर शासन द्वारा भी रोष व्यक्त किया गया है।

शासन ने अपने पत्र संख्या 1682 / III(1) / 07–20(अधि0) / 2007 दिनांक 01.06.2007 द्वारा भी निर्दिष्ट किया गया कि मितव्ययता के दृष्टिगत रखते हुए यथा सम्भव विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जाने क प्रयास किया जाय।

पुनः यह संज्ञान में आया है कि विभाग में विभिन्न कार्यालय द्वारा कम्प्यूटर कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर्स रखे जा रहे हैं और प्रोक्योरमेन्ट नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः इस प्रवृत्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगयी जाती है। यदि भविष्य में ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कार्यालय उत्तरदायी होगा एवं भुगतान की धनराशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जायेगी। अपरिहार्य एवं आवश्यकतानुसार कार्य की अधिकता के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार Job Work के आधार पर नियमानुसार कार्यहित में कार्य कराया जा सकता है।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता
3/1/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–I, (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I / II, क्षेत्रीय कार्यालय / पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक / रा0मा0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।
4. वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड / विभागाध्यक्ष कार्यालय।।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड / विभागाध्यक्ष कार्यालय।
8. वैयक्तिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय को कड़ाई से अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।
3/1/14

Scanned by CamScanner